07/4/26	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत लिखित आदेश से शामिल किया गया। पंजिका से कम हो। आदेश सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	GCMS 2025/439

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.04.07 18:01:09 IST
Reason: SelfAttested

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

रामरती बनाम महादनाथ वगैरा

किस्म मुकदमाः–212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–181/2025

GCMS:- 2025/439

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.04.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया के नाम से खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ की रोही रंगमहल के खाता संख्या 15/28 के खसरा संख्या 173 में 2.8590 हैक्टर व खसरा संख्या 175 में 4.516 हैक्टर बारानी कुल 7.375 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ़ की रोही किशनपुरा के खसरा संख्या 460 में 3.631 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड हे। प्रार्थीया की भूमि खातेदारी है। प्रार्थीया व अप्रार्थी का अलग–अलग खसराजात व रोही अलग–अलग रोही है। प्रार्थीया द्वारा अपनी खातेदारी काबिज काश्त भूमि को करावा लगाकर समतल व उपजाउ किया है। समतल व उपजाउ जमीन देखकर अप्रार्थी के मन में बदयान्ती आ गई है। वह प्रार्थीया की भूमि पर जबरन दखलदांजी करने पर उतारू है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया का ना पुरा होने वाला नुकसान संभव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी–1 को पाबंद किया जावे कि वे रोही रंगमहल के खाता संख्या 15/28 के खसरा संख्या 173 में 2.8590 हैक्टर व खसरा संख्या 175 में 4.516 हैक्टर बारानी इस प्रकार कुल 7.375 हैक्टर बारानी भूमि पर ना तो स्वयं दखलदांजी करें व ना ही किसी अन्य से करावें। मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थीया की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थीया के नाम से तहसील सूरतगढ़ की रोही रंगमहल के खाता संख्या 15/28 के खसरा संख्या 173 में 2.8590 हैक्टर व खसरा संख्या 175 में 4.516 हैक्टर बारानी कुल 7.375 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या–1 महादनाथ पुत्र चुसनाथ का रकबा उनके चिपता है तथा उसके द्वारा इनके खातेदारी रकबा में दखलदांजी की जा रही है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत खसरा नक्शा की चित्रप्रति से यह साबित नही हो रहा है अप्रार्थी–1 का रकबा प्रार्थीया के रकबा के चिपता है तथा प्रार्थीया यह भी साबित नही कर पाई है कि अप्रार्थी–1 उसके खातेदारी रकबा में घुसने का प्रयास कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अभाव में निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena

Date: 2026.04.07 18:01:09 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़